7. विभिन्न भत्ते/बोनस संबंधी शासनादेश

विषय सूची			
क0सं0	विषय	शासनादेश संख्या तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भारत सरकार/ राज्य सरकार के समान संशोधित दरों पर मकान किराया भत्ता की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।	166/XXVII(7)/18–50(14)/2017, दिनांक 11 जून 2019	181–186
2	चतुर्थ श्रेणी कार्मिको को अनुमन्य शीतकालीन/ ग्रीष्मकालीन वर्दी एवं सिलाई हेतु निर्धारित धनराशि को दो समान किश्तों में सम्बन्धित कार्मिक के वेतन खाते में जमा कराये जाने के संबंध में।	101/XXVII(7)20–27(5)/2010, दिनांक 04 मई 2020	187–188
3	वाहन चालको को अनुमन्य शीतकालीन/ग्रीष्मकालीन वर्दी एवं सिलाई हेतु निर्धारित धनराशि को दो समान किश्तों में सम्बधित कार्मिक के वेतन खाते में जमा कराये जाने के संबंध में कार्यालय ज्ञाप।	193/XXVII(7)19–27(3)/2006 दिनांक 05 अगस्त 2019	189–190
4	शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में राज्य के सरकारी सेवकों को शासकीय गेस्ट हाउस, विश्राम गृहों, होटल इत्यादि के अतिरिक्त राज्यान्तर्गत स्थित होम–स्टे में अवस्थान करने सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञाप	14/XXVII(7)/18–60(14)/2017, दिनांक 21 जनवरी 2020	191–192
5	पशुपालन विभाग के अन्तर्गत नियमित एवं मौलिक रूप से नियुक्त पशु चिकित्साविदों को सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत पुनरिक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 20% 'प्रैक्टिस बन्दी भत्ता'' दिनांक 01–04–2023 से लागू करने से सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप	121397/XXVII(7)/E–47104/2023, दिनांक 12 मई 2023	193–194
6	लघु सिंचाई विभाग में नियमित रूप से कार्यरत कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता जिनके द्वारा फील्ड स्तरीय शासकीय कार्य अपने मोटर साईकिल/स्कूटर से करने पर वाहन अनुमन्य किय जाने से सम्बन्धित कार्यालय ज्ञाप।	79457/XXVII(7)/E–42461/2022, दिनांक 30 नवम्बर 2022	195–196
7	राजकीय सेवा में पति तथा पत्नी दोनों के एक ही स्टेशन पर कार्यरत होने एवं एक ही आवास में रहने पर पति तथा पत्नी दोनों को मकान किराया भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	322/XXVII(7)/50(69)/2015, दिनांक 28 दिसम्बर 2021	197–198
8	अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2019–20 के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) का भुगतान के सम्बन्ध में।	327/XXVII(7)–1(1)/2003टीसी 1/2020, दिनांक 10 नवम्बर 2020	199–202
9	अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2018–19 के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) का भुगतान के सम्बन्ध में।	352/XXVII(7)–1(1)/2003, दिनांक 21 अक्टूबर 2019	203–206

संख्याः 166/XXVII(7)/18–50(14)/201

सेवा में,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
कार्मिक विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांक 11 जून, 2019

विषयः– **अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भारत सरकार/राज्य सरकार के समान संशोधित दरों पर मकान किराया भत्ता की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।**

महोदय,

अखिल भारतीय सेवा (मकान किराया भत्ता) नियमावली, 1977 के निम्न प्राविधान की ओर मुझे आपका ध्यानाकर्षण करने का निदेश हुआ हैः–

"राज्य सरकार में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को उन्हीं शर्तों एवं दरों पर मकान किराया भत्ता अनुमन्य होगा जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है परन्तु अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को मकान किराया भत्ता की धनराशि किसी भी समय किसी भी दशा में उन दरों से कम नहीं होगी जो कि उस स्टेशन पर तैनात भारत सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों का अनुमन्य होगी।"

2. वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए कार्यालय–ज्ञाप संख्या– 15/XXVII(7)/18-50(14)/2017 दिनांक 15 फरवरी, 2019 के द्वारा राज्य की सीमा के अन्तर्गत आने वाले श्रेणी "बी–2" के शहरी क्षेत्रों, श्रेणी "सी" के शहरी क्षेत्रों, एवं अवर्गीकृत श्रेणी के नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मकान किराया भत्ते का पुनरीक्षण किया गया है। उक्त सेवा के अधिकारियों की राज्य के अन्तर्गत तैनाती पर उक्त शासनादेश दिनांक 15 फरवरी, 2019 अथवा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के शासनादेश संख्या–2/5/2017-EII(B) दिनांक 07 जुलाई, 2017 में उल्लिखित मकान किराये भत्ते की दरों में से जो भी दर अधिक हो वही अनुमन्य होगी।

3. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में सातवें वेतन समिति की संस्तुतियों के क्रम में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमन्य मकान किराये भत्ते सम्बन्धी शासनादेश संख्या–2/5/2017-EII(B) दिनांक 07 जुलाई, 2017 की प्रति संलग्न है।

4. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के उक्त प्रस्तर–3 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 07 जुलाई, 2017 की व्यवस्था दिनांक 01 जुलाई, 2017 से एवं प्रस्तर–2 में उल्लिखित व्यवस्था दिनांक 01 फरवरी, 2019 से लागू होगी।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः 166 (1)/XXVII(7)/18–50(14)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, शासन।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
9. सम्बन्धित वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

No. 2/5/2017-E.II(B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
*****

New Delhi, 7th July, 2017.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Implementation of recommendations of the Seventh Central Pay Commission relating to grant of House Rent Allowance (HRA) to Central Government employees.

***

Consequent upon the decision taken by the Government on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission, the President is pleased to decide that, in modification of this Ministry's O.M. No.2(37)-E.II(B)/64 dated 27.11.1965 as amended from time to time, O.M. No.2(13)/2008-E.II(B) dated 29.08.2008 and O.M. No.2/5/2014-E.II(B) dated 21.07.2015, the admissibility of House Rent Allowance (HRA) shall be as under:-

Classification of Cities/Towns	Rate of House Rent Allowance per month as a percentage of Basic Pay only
X	24 %
Y	16 %
Z	8%

2. The rates of HRA will not be less than Rs.5400/-, 3600/- & 1800/- at X, Y & Z class cities respectively.

3. The rates of HRA will be revised to 27% 18% & 9% for X, Y & Z class cities respectively when Dearness Allowance (DA) crosses 25% and further revised to 30%, 20% & 10% when DA crosses 50%.

4. The term "basic pay" in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed pay levels in the Pay Matrix and does not include Non-Practising Allowance (NPA), Military Service Pay (MSP), etc. or any other type of pay like special pay, etc.

5. The list of cities classified as 'X', 'Y' and 'Z' vide DoE's O.M. No.2/5/2014-E.II(B) dated 21.07.2015, for the purpose of grant of House Rent Allowance is enclosed as Annexure to these orders.

6. Special orders on continuance of HRA at Delhi ("X" class city) rates to Central Government employees posted at Faridabad, Ghaziabad, NOIDA and Gurgaon, at Jalandhar ("Y" class city) rates to Jalandhar Cantt., at "Y" class city rates to Shillong, Goa & Port Blair and HRA at par with Chandigarh ("Y" class city) to Panchkula, S.A.S. Nagar (Mohali) which have been allowed to continue vide Para '4' of this Ministry's O.M. No.2/5/2014-E.II(B) dated 21.07.2015 and O.M. No. 2/2/2016-E.II(B) dated 03.02.2017, shall continue till further orders.

7. All other conditions governing grant of HRA under existing orders, shall continue to apply.

8. **These orders shall be effective from 1st July, 2017.**

9. The orders will apply to all civilian employees of the Central Government. The orders will also be applicable to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates. In respect of Armed Forces personnel and Railway employees, separate orders will be issued by the Ministry of Defence and the Ministry of Railways, respectively.

10. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders issue in consultation with the Comptroller & Auditor General of India.

Hindi version is attached.

(Annie George Mathew)
Joint Secretary to the Government of India

To

ANNEXURE

To O.M. No.2/5/2017-E.II(B) dated 07.07.2017.

LIST OF CITIES/TOWNS CLASSIFIED FOR GRANT OF HOUSE RENT ALLOWANCE TO CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES

Sl. No.	STATES/ UNION TERRITORIES	CITIES CLASSIFIED AS "X"	CITIES CLASSIFIED AS "Y"
1.	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	—	—
2.	ANDHRA PRADESH/ TELANGANA	Hyderabad (UA)	Vijayawada (UA), Warangal (UA), Greater Visakhapatnam (M.Corpn.), Guntur (UA), Nellore (UA)
3.	ARUNACHAL PRADESH	—	—
4.	ASSAM	---	Guwahati (UA)
5.	BIHAR	---	Patna (UA)
6.	CHANDIGARH	---	Chandigarh (UA)
7.	CHHATTISGARH	—	Durg-Bhilai Nagar (UA), Raipur (UA)
8.	DADRA & NAGAR HAVELI	—	—
9.	DAMAN & DIU	---	---
10.	DELHI	Delhi (UA)	
11.	GOA	---	---
12.	GUJARAT	Ahmadabad (UA)	Rajkot (UA), Jamnagar (UA), Bhavnagar (UA), Vadodara (UA), Surat (UA)
13.	HARYANA	---	Faridabad*(M.Corpn.), Gurgaon*(UA)
14.	HIMACHAL PRADESH	---	---
15.	JAMMU & KASHMIR	---	Srinagar (UA), Jammu (UA)
16.	JHARKHAND	—	Jamshedpur (UA), Dhanbad (UA), Ranchi (UA), Bokaro Steel City (UA)
17.	KARNATAKA	Bengalore/Bengaluru (UA)	Belgaum (UA), Hubli-Dharwad (M.Corpn.), Mangalore (UA), Mysore (UA), Gulbarga (UA)
18.	KERALA	—	Kozhikode (UA), Kochi (UA), Thiruvanathapuram (UA), Thrissur (UA), Malappuram (UA), Kannur (UA), Kollam (UA)
19.	LAKSHADWEEP	---	---
20.	MADHYA PRADESH	—	Gwalior (UA), Indore (UA), Bhopal (UA), Jabalpur (UA), Ujjain (M. Corpn.)

Sl. No.	STATES/ UNION TERRITORIES	CITIES CLASSIFIED AS "X"	CITIES CLASSIFIED AS "Y"
21.	MAHARASHTRA	Greater Mumbai (UA), Pune (UA)	Amravati (M.Corpn.), Nagpur (UA), Aurangabad (UA), Nashik (UA), Bhiwandi (UA), Solapur (M.Corpn.), Kolhapur (UA), Vasai-Virar City (M. Corpn.), Malegaon (UA), Nanded-Waghala (M. Corpn.), Sangli (UA)
22.	MANIPUR	---	---
23.	MEGHALAYA	---	---
24.	MIZORAM	---	---
25.	NAGALAND	---	---
26.	ODISHA	—	Cuttack (UA), Bhubaneswar (UA), Raurkela (UA)
27.	PUDUCHERRY (PONDICHERRY)	—	Puducherry/Pondicherry (UA)
28.	PUNJAB	—	Amritsar (UA), Jalandhar (UA), Ludhiana (M. Coprn.)
29.	RAJASTHAN	—	Bikaner (M.Corpn.), Jaipur (M.Corpn.), Jodhpur (UA), Kota (M.Corpn.), Ajmer (UA)
30.	SIKKIM	---	---
31.	TAMIL NADU	Chennai (UA)	Salem (UA), Tiruppur (UA), Coimbatore (UA), Tiruchirappalli (UA), Madurai (UA), Erode (UA)
32.	TRIPURA	---	---
33.	UTTAR PRADESH	—	Moradabad (M.Corpn.), Meerut (UA), Ghaziabad*(UA), Aligarh(UA), Agra (UA), Bareilly (UA), Lucknow (UA), Kanpur (UA), Allahabad (UA), Gorakhpur (UA), Varanasi (UA), Saharanpur (M.Corpn.), Noida* (CT), Firozabad (NPP), Jhansi (UA)
34.	UTTARAKHAND	---	Dehradun (UA)
35.	WEST BENGAL	Kolkata (UA)	Asansol (UA), Siliguri (UA), Durgapur (UA)

* Only for the purpose of extending HRA on the basis of dependency.

NOTE

The remaining cities/towns in various States/UTs which are not covered by classification as "X" or "Y", are classified as "Z" for the purpose of HRA.

***

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
ख्या–/XXVII(7)/20–27(5)/2010
देहरादूनः दिनांक 04 अप्रैल, 2020

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर अधीनस्थ कार्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को शासनादेश संख्या–2740/VII-I-10/17–उद्योग/2004 दिनांक 12 जनवरी, 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) के द्वारा अनुमन्य शीतकालीन/ग्रीष्मकालीन वर्दी एवं सिलाई की दरों हेतु निर्धारित धनराशि, जिन्हें उक्त सुविधा पूर्व से अनुमन्य है, को दो समान किश्तों में सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन खाते में जमा कराये जाने की श्री राज्यपाल निम्न शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए यह आवश्यक होगा कि वर्दी पर बायीं ओर उनका नाम और पदनाम अंकित होगा एवं वर्दी अनिवार्य रूप से धारण की जायेगी। वर्दी धारण न किये जाने पर उक्त धनराशि अनुमन्य नहीं की जायेगी।
3. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा आहरण–वितरण अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र दिया जायेगा कि वर्दी सिलवा ली गयी है एवं सुव्यवस्थित अवस्था में है।
4. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा प्रमाण–पत्र दिये जाने के उपरान्त ही आहरण वित्तरण अधिकारी द्वारा द्वितीय किश्त जारी की जाय।
5. पूर्व में निर्गत शासनादेशों में वर्णित शर्तें/प्रतिबन्ध उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। शेष शर्तें यथावत् लागू रहेगी।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः 101 (1)/XXVII(7) 20–27(5)/2010 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, महोलेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6. सचिव, विधानसभा सचिवालय, उत्तराखण्ड।
7. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
11. निदेशक, आडिट विभाग, उत्तराखण्ड।
12. समस्त वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. प्रदेश महामंत्री, चतुर्थ वर्गीय राज्य कर्मचारी महासंघ, उत्तराखण्ड।
14. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वि0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
ख्या– / /XXVII(7)/19–27(3)/2006 टी.सी.
देहरादूनः दिनांक 05 अगस्त, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर अधीनस्थ कार्यालयों के राजकीय वाहन चालकों को शासनादेश संख्या–2740/VII-I-10/17–उद्योग/2004 दिनांक 12 जनवरी, 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) के द्वारा अनुमन्य शीतकालीन/ग्रीष्मकालीन वर्दी हेतु निर्धारित धनराशि को दो समान किश्तों में सम्बन्धित कार्मिक/चालक के वेतन खाते में जमा कराये जाने की निम्न शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. सभी वाहन चालकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वर्दी पर बायीं ओर उनका नाम और पदनाम अंकित होगा एवं वर्दी अनिवार्य रूप से धारण की जायेगी। वर्दी धारण न किये जाने पर उक्त धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।

3. वाहन चालक द्वारा आहरण–वितरण अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र दिया जायेगा कि वर्दी सिलवा ली गयी है एवं सुव्यवस्थित अवस्था में है।

4. वाहन चालक द्वारा प्रमाण–पत्र दिये जाने के उपरान्त ही आहरण वित्तरण अधिकारी द्वारा द्वितीय किश्त जारी की जाय।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः 193 (1)/XXVII(7) 19–27(3)/2006टी.सी. तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, महोलेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6. सचिव, विधानसभा सचिवालय, उत्तराखण्ड।
7. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
11. निदेशक, आडिट विभाग, उत्तराखण्ड।
12. समस्त वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्याः /xxvii(7/18-60(14)/2017
देहरादून, दिनांकः 21 जनवरी, 2020

कार्यालय–ज्ञाप

शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में राज्य के सरकारी सेवकों को शासकीय गेस्ट हाउस, विश्राम गृहों, होटल इत्यादि के अतिरिक्त राज्यान्तर्गत स्थित **होम–स्टे** में अवस्थान करने की दशा में वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय–ज्ञाप सँख्या–18/ XXVII(7)/18-60(14)/ 2017 दिनांक 23 जनवरी, 2019 में उल्लिखित तालिका (क) के कालम–6 में उल्लिखित अवस्थापन दरों (अनुमन्यता की सीमा तक) के अनुरूप अवस्थापन भत्ता अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हें।

2. उक्त कार्यालय–ज्ञाप सँख्या–18/ XXVII(7)/18-60(14)/ 2017 दिनांक 23 जनवरी, 2019 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्ते यथावत् लागू रहेगी।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः 14 (1)//xxvii(7/18-60(14)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2–सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
3–समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4–सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड।
5–मुख्य स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली।
6–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8–निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
9–निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
10–निदेशक, आडिट निदेशालय, देहरादून।
11–वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राजकीय महाविद्यालय, उत्तराखण्ड।
12– समस्त मुख्य वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13–एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

121397/2023

121397/2023

उत्तराखण्ड शासन

वित्त(वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7

संख्याः 12139७ /XXVII(7)/E-47104/2023

देहरादूनः दिनांक 12 मई, 2023

कार्यालय–ज्ञाप

वित्तीय नियम समिति की संस्तुति पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि पशुपालन विभाग के अन्तर्गत नियमित एवं मौलिक रूप से नियुक्त पशु चिकित्साविदों को सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 20% 'प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (NPA)' दिनांक 01–04–2023 से निम्नांकित शर्तों के अधीन अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(i) उक्तानुसार स्वीकृत प्रैक्टिस बन्दी भत्ता एवं मूल वेतन का कुल योग रू0 2,25,000.00 (रू0 दो लाख पच्चीस हजार मात्र) से अधिक नहीं होगा।

(ii) प्रशासनिक पदों पर कार्यरत पशु चिकित्साविदों को भी उक्त प्रैक्टिस बन्दी भत्ता अनुमन्य होगा, परन्तु उक्त पशु चिकित्साविदों को उन्हें आवंटित कार्यों के साथ–साथ विभागीय आवश्यकता के दृष्टिगत वरिष्ठ/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथासमय राजकीय पशु चिकित्सालयों में क्लीनिकल कार्य करने हेतु दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने की बाध्यता होगी। उक्त आदेश की अवहेलना किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित पशु चिकित्साविद् का प्रैक्टिस बन्दी भत्ता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जायेगा।

(iii) प्रशासनिक पदों पर कार्यरत पशु चिकित्साविदों द्वारा स्वैच्छिक रूप से भी राजकीय पशु चिकित्सालयों में क्लीनिकल कार्य सम्पादित किया जा सकता है, बशर्ते कि इससे उन्हें आवंटित प्रशासनिक कार्यदायित्व प्रभावित न हो।

(iv) प्रशासनिक पदों पर कार्यरत पशु चिकित्साविदों के साथ–साथ क्लीनिकल कार्यों को सम्पादित कर रहे पशु चिकित्साविदों के निजी प्रैक्टिस करने की सूचना प्राप्त होने एवं इसकी विभागीय पुष्टि हो जाने पर तत्काल प्रभाव से उन्हें अनुमन्य प्रैक्टिस बन्दी भत्ता समस्त सेवाकाल के लिए समाप्त कर दिया जायेगा। साथ ही पूर्ववर्ती तिथि, जबसे निजी प्रैक्टिस करने का तथ्य विभागीय पुष्टि के आधार पर संज्ञान में आ जाये, उक्त तिथि से पूर्व में दिये गये भत्ते की वसूली भी की जायेगी।

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 11-05-2023 18:40:34

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्याः 12397 (1)/XXVII(7)/E-47104/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, मंत्रिपरिषद विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
7. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
8. निदेशक आडिट निदेशालय, देहरादून।
9. सम्बन्धित वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Ganga Prasad
Date: 11-05-2023 18:44:29
(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7
संख्याः 79457 /XXVII(7)/E-42461/2022
देहरादूनः दिनांक 30 नवम्बर, 2022

कार्यालय–ज्ञाप

शासनादेश संख्या–551/XXVII(7)27(14)/2012 दिनांक 06 जून, 2013 सपठित शासनादेश संख्या–138/XXVII(7)27(14)/2012 दिनांक 04 जुलाई, 2016 द्वारा राजकीय विभागों के कनिष्ठ अभियन्ता को अपने विभिन्न प्रकार के वाहनों को संतोषजनक और चालू स्थिति में रखते हुए सरकारी कार्य हित में मुख्यालय पर की जाने वाली यात्राओं में उपयोग हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम–82 के अधीन तत्कालिक प्रभाव से रू0 1200/– प्रतिमाह वाहन भत्ता अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2. लघु सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता को वाहन भत्ते की अनुमन्यता का उल्लेख वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम–82 में न होने के कारण उन्हें वाहन भत्ता अनुमन्य नहीं किया जा रहा है।

3. शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लघु सिंचाई विभाग में नियमित रूप से कार्यरत कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता जिनके द्वारा फील्ड स्तरीय शासकीय कार्य अपने मोटर साईकिल/स्कूटर से किया जाता है को उपरोक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 06 जून, 2013 एवं शासनादेश दिनांक 04 जुलाई, 2016 में उल्लिखित दर/प्रतिबन्धों के अधीन तत्कालिक प्रभाव से वाहन भत्ता अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4. वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों/परिशिष्टों में वित्त विभाग द्वारा यथासमय उक्तानुसार व्यवस्था उपबन्धित कर ली जायेगी।

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 28-11-2022 20:14:51

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्या– 79457 (1)/XXVII(7)/E-42461/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. संयुक्त सचिव, आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
7. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

9. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

संख्या– 322 /XXVII(7)/50(69)/2015

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांकः 28 दिसम्बर, 2021

विषयः– राजकीय सेवा में पति तथा पत्नी दोनों के एक ही स्टेशन पर कार्यरत होने एवं एक ही आवास में रहने पर पति तथा पत्नी दोनों को मकान किराया भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–जी–1–1795/दस–81–209–81 दिनांक 15 दिसम्बर, 1981, शासनादेश संख्या7जी–1–2569/दस–83–209/81 दिनांक 28 फरवरी, 1984 तथा शासनादेश संख्या–55/XXVII(7)/18-50(14)/2017 दिनांक 15 फरवरी, 2019 के अधीन राजकीय सेवा में पति तथा पत्नी दोनों के कार्यरत होने एवं एक ही आवास में रहने पर पति तथा पत्नी दोनों में से किसी एक को नियमानुसार मकान किराया भत्ता अनुमन्य किया जा रहा है।

2. वर्तमान में भारत सरकार में यदि पति तथा पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और एक ही स्टेशन पर कार्यरत है तथा एक ही किराये के अथवा अपने आवास में रह रहे है तो उन्हें मकान किराया भत्ता की अनुमन्यता के सम्बन्ध में भारत सरकार के परिपत्र संख्या–M.F., O.M. No. F.11015/2/87-E.II(B) दिनांक 08 नवम्बर, 1988 के नियम–5(e) (I) में निम्नानुसार व्यवस्था स्थापित हैः–

".....The President is pleased to decide that no restriction should be imposed only on the ground that husband/wife is also a Government servant and is living together in the hired/owned accommodation. In such case, normal amount of HRA may be granted to them as per their entitlement subject to fulfilment of other conditions for drawal of the allowance."

उक्त के अतिरिक्त परिपत्र दिनांक 08 नवम्बर, 1988 के नियम संख्या–5(c), 5(c) (iii) में निम्नानुसार व्यवस्था उपबन्धित है किः–

5(c) AGovernment servant shall not be entitled to House Rent Allowance, if-

5(c) (iii) his wife/her husband has been allotted accommodation at the same station by the Central Government. State Government, an Autonomous Public Undertaking or semi- Government Organization such as Municipality, Port Trust, etc., whether he/she resides in that accommodation or he/she resides separately in accommodation rented by him/her.

3. उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व निर्गत शासनादेशों में संशोधन करते हुए राजकीय सेवा में कार्यरत ऐसे पति/पत्नी, जो एक ही स्टेशन पर तैनात हैं व एक ही किराये के अथवा अपने आवास में रह रहे हों, तो दोनों को नियमानुसार उनकी देयता की सीमा तक मकान किराये भत्ते की देय धनराशि प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान करते है कि पति/पत्नी

दोनों में से किसी को भी उसी स्टेशन में जहां वे कार्यरत हैं, शासकीय आवास आवंटित न हो व दोनों मकान किराये भत्ता प्राप्त करने की अन्य शर्तें पूर्ण करते हों।

उक्त व्यवस्था दिनांक 01–01–2022 से प्रभावी होगी।

भवदीय

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या–322(1)/XXVII(7)/50(69)/2015, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

संख्याः 327/xxvii(7)–1(1)/2003 टी.सी.1/ 2020

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/
सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 **देहरादूनः दिनांक 10 नवम्बर, 2020**

विषयः **अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2019–20 के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) का भुगतान के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या–7/24/2007/E-III(ए) दिनांक 21 अक्टूबर, 2020 द्वारा केन्द्र सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों को वर्ष 2019–20 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर (अधिकतम धनराशि रू0 7000/–(रू0 सात हजार मात्र)) की सीमा निर्धारित करते हुए तदर्थ बोनस स्वीकृत किया गया है।

2. राज्य सरकार के कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायत के समूह 'ग' एवं 'घ' के अराजपत्रित कर्मचारियों, जिनका ग्रेड वेतन रू0 4800/– (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में लेवल–8) तक है, को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) केवल वे कर्मचारी इन आदेशों के अन्तर्गत तदर्थ बोनस के पात्र होंगे, जो दिनांक 31–03–2020 को सेवा में थे और जिन्होंने 31 मार्च, 2020 तक न्यूनतम छः माह की निरन्तर एवं सन्तोषजनक सेवा की हो। वर्ष के दौरान छः महिने से पूरे एक वर्ष तक लगातार सेवा की अवधि के लिए पात्र कर्मचारियों को यथा अनुपात भुगतान किया जायेगा, पात्रता अवधि की गणना सेवा के महिनों (महिनों की निकटतम संख्या में पूर्णांकित संख्या) के रूप में की जायेगी।

(2) उत्पादकता असंबद्व बोनस (तदर्थ बोनस) की गणना करने के लिए एक वर्ष की औसत परिलब्धियों को 30.4 (एक माह के औसत दिनों की संख्या) से विभाजित किया जाएगा तत्पचात दिये जाने वाले बोनस के दिनों की संख्या से इसको गुणा किया जायेगा। उदाहरण के लिए मासिक परिलब्धियों की उच्चतम गणना सीमा रू0 7000/–(जहां वास्तविक परिलब्धियों रू0 7000/– से ज्यादा है) मानते हुए 30 दिनों के लिए उत्पादकता असंबद्व बोनस (तदर्थ बोनस) रू0 7000 X 30/30.4 = 6907.89 (पूर्णांकित रू0 6908/–) होगा।

(3) ऐसे कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, जिन्होंने छः कार्य दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में पिछले तीन वर्ष अथवा इससे अधिक वर्ष में हर वर्ष कम से कम 240 दिन (पांच कार्य दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों के मामले में 3 या इससे अधिक वर्ष में हर वर्ष 206 दिन) कार्य किया है, इस उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) के पात्र होंगे। देय तदर्थ बोनस की राशि रू0 1200 X 30/30.4 अर्थात रू0 1184.21(पूर्णांकित रू0 1184/–) होगी। ऐसे मामलों में जहां वास्तविक परिलब्धियों रू0 1200/– से कम है, इस राशि की गणना वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर की जाएगी।

(4) इन आदेशों के अधीन तदर्थ बोनस की धनराशि रूपये के निकटतम् पूर्णांक में भुगतान की जायेगी।

(5) ऐसे कर्मचारी जिनके विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा किसी न्यायालय में आपराधिक वाद लम्बित हो, को तदर्थ बोनस का भुगतान ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा मुकदमें का परिणाम प्राप्त होने तक स्थगित रहेगा, जो दोषमुक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा। जिन कर्मचारियों को वर्ष 2019–20 में किसी विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा आपराधिक मुकदमें में दण्ड दिया गया हो, उन्हें तदर्थ बोनस देय नहीं होगा।

(6) किसी वित्तीय वर्ष के तदर्थ बोनस के सम्बन्ध में एक बार निर्णय ले लिये जाने के पश्चात आगामी वर्ष में किसी भी परिस्थिति में पुनर्विचार नहीं किया जायेगा।

(7) तदर्थ बोनस की स्वीकृति के फलस्वरूप ऐसे कार्मिकों को मानदेय केवल महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट कार्यो के लिये ही दिया जायेगा।

(8) अवैतनिक अवकाश के मामलों को छोड़कर, अन्य प्रकार के अवकाशों की अवधि को पात्रता अवधि की गणना के प्रयोजन के लिए आगणित किया जायेगा।

(9) लेखा वर्ष में किसी अवधि के लिए निलम्बित रहे कार्मिक को तदर्थ बोनस अनुमन्य नहीं होगा। ऐसा कार्मिक यदि निलम्बन की अवधि के लिए परिलब्धियों के लाभ सहित बहाल होता है तो वह तदर्थ बोनस के लाभ का पात्र होगा।

(10) ऐसे स्थानीय निकाय एवं विकास प्राधिकरण जो लाभ में हो, के कर्मियों को भी तदर्थ बोनस की धनराशि उक्तानुसार देय होगी किन्तु उक्त का भुगतान सम्बन्धित निकाय/ विकास प्राधिकरण द्वारा अपने संसाधनों से स्वयं वहन करना होगा। इसके लिये शासन द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा।

3. अनुमन्य तदर्थ बोनस का भुगतान नकद धनराशि के रूप में किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत तदर्थ बोनस को सम्बन्धित आय–व्ययक के उसी लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा जिसमें सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन व्यय का वहन किया जाता है तथा उसे मानक मद "वेतन" के अन्तर्गत पुस्तांकित किया जायेगा।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः (1)/ xxvii(7)–1(1)/2003 टी.सी–1/2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखकार भवन, कालौगढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रमों में यदि बोनस की देयता हो और सम्बन्धित निकाय/उपक्रम उक्त व्ययभार को वहन करने में सक्षम हो तो कृपया अपने स्तर से उक्त वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपने अधीनस्थ निकाय/उपक्रमों में नियुक्त कार्मिकों को तदर्थ बोनस अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं। उक्त के सम्बन्ध में पुनः वित्त विभाग की सहमति की आवश्कता नहीं होगी।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
6. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तराखण्ड।
10. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, देहरादून।
11. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
12. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
13. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

संख्याः 352/xxvii(7)–1(1)/2003

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/
सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांक 21 अक्टूबर, 2019

विषयः **अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2018–19 के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) का भुगतान।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या–7/24/2007/E-III(ए) दिनांक 04 अक्टूबर, 2019 द्वारा केन्द्र सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों को वर्ष 2018–19 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर (अधिकतम धनराशि रू0 7000/–(रू0 सात हजार मात्र)) की सीमा निर्धारित करते हुए तदर्थ बोनस स्वीकृत किया गया है।

2. राज्य सरकार के कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायत के कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप बोनस अनुमन्य किए जाने के दृष्टिगत केन्द्र सरकार के मानकों के अधीन उक्तानुसार समूह 'ग' एवं 'घ' के अराजपत्रित कर्मचारियों, जिनका ग्रेड वेतन रू0 4800/–(पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के सतर–8) तक है, को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उत्पादकता असंबद्ध बोनस(तदर्थ बोनस) अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. केवल वे कर्मचारी इन आदेशों के अन्तर्गत भुगतान के पात्र होंगे, जो दिनांक 31–03–2019 को सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 2018–19 में 31 मार्च, 2019 तक न्यूनतम छः माह की निरन्तर एवं सन्तोषजनक सेवा की हो। वर्ष के दौरान छः महिने से पूरे एक वर्ष तक लगातार सेवा की अवधि के लिए पात्र कर्मचारियों को यथा अनुपात भुगतान किया जायेगा, पात्रता अवधि की गणना सेवा के महिनों (महिनों की निकटतम संख्या में पूर्णांकित संख्या) के रूप में की जायेगी।
2. उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) की गणना करने के लिए एक वर्ष की औसत परिलब्धियों को 30.4 (एक माह के औसत दिनों की संख्या) से विभाजित किया जाएगा तत्पचात दिये जाने वाले बोनस के दिनों की संख्या से इसको गुणा किया जायेगा। उदाहरण के लिए मासिक परिलब्धियों की उच्चतम गणना सीमा रू0 7000/–(जहां वास्तविक परिलब्धियों रू0 7000/– से ज्यादा है) मानते हुए 30 दिनों के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) रू0 7000 X 30/30.4 = 6907.89(पूर्णांकित रू0 6908/–) होगा।

3. ऐसे कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, जिन्होंने छः कार्य दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में पिछले तीन वर्ष अथवा इससे अधिक वर्ष में हर वर्ष कम से कम 240 दिन (पांच कार्य दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों के मामले में 3 या इससे अधिक वर्ष में हर वर्ष 206 दिन) कार्य किया है, इस उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) के पात्र होंगे। देय तदर्थ बोनस की राशि रू0 1200 X 30/30.4 अर्थात रू0 1184.21(पूर्णांकित रू0 1184/--) होगी। ऐसे मामलों में जहां वास्तविक परिलब्धियों रू0 1200/-- से कम है, इस राशि की गणना वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर की जाएगी।

4. इन आदेशों के अधीन तदर्थ बोनस की धनराशि रूपये के निकटतम् पूर्णांक में भुगतान की जायेगी।

5. ऐसे कर्मचारी जिनके विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा किसी न्यायालय में आपराधिक वाद लम्बित हो, को तदर्थ बोनस का भुगतान ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा मुकदमें का परिणाम प्राप्त होने तक स्थगित रहेगा, जो दोषमुक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा। जिन कर्मचारियों को वर्ष 2018--19 में किसी विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा आपराधिक मुकदमें में दण्ड दिया गया हो, उन्हें तदर्थ बोनस देय नहीं होगा।

6. किसी वित्तीय वर्ष के तदर्थ बोनस के सम्बन्ध में एक बार निर्णय ले लिये जाने के पश्चात आगामी वर्ष में किसी भी परिस्थिति में पुनर्विचार नहीं किया जायेगा।

7. तदर्थ बोनस की स्वीकृति के फलस्वरूप ऐसें कार्मिकों को मानदेय केवल महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट कार्यो के लिये ही दिया जायेगा।

8. अवैतनिक अवकाश के मामलों को छोड़कर, अन्य प्रकार के अवकाशों की अवधि को पात्रता अवधि की गणना के प्रयोजन के लिए आगणित किया जायेगा।

9. लेखा वर्ष में किसी अवधि के लिए निलम्बित रहे कार्मिक को तदर्थ बोनस अनुमन्य नहीं होगा। ऐसा कार्मिक यदि निलम्बन की अवधि के लिए परिलब्धियों के लाभ सहित बहाल होता है तो वह तदर्थ बोनस के लाभ का पात्र होगा।

10. स्थानीय निकाय एवं विकास प्राधिकरणों के कर्मियों को भी तदर्थ बोनस की धनराशि उक्तानुसार देय होगी किन्तु उक्त का भुगतान सम्बन्धित निकाय/विकास प्राधिकरण द्वारा अपने संसाधनों से स्वयं वहन करना होगा। इसके लिये शासन द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा।

2. अनुमन्य तदर्थ बोनस का भुगतान शासनादेश जारी होने की तिथि के पश्चात नकद धनराशि के रूप में किया जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत तदर्थ बोनस को सम्बन्धित आय--व्ययक के उसी लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा जिसमें सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन व्यय का वहन किया जाता है तथा उसे मानक मद "वेतन" के अन्तर्गत पुस्तांकित किया जायेगा।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः (1)/ xxvii(7)–1(1)/2003 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखकार भवन, कालौगढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो/शहरी विकास विभाग/पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रमों में यदि बोनस की देयता हो और सम्बन्धित निकाय/उपक्रम उक्त व्ययभार को वहन करने में सक्षम हो तो कृपया अपने स्तर से उक्त वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपने अधीनस्थ निकाय/उपक्रमों में नियुक्त कार्मिकों को तदर्थ बोनस अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं। उक्त के सम्बन्ध में पुनः वित्त विभाग की सहमति की आवश्कता नहीं होगी।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
6. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, देहरादून।
10. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
11. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।